उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 933xxiv–B–1/19–32(02)/2011
देहरादून, दिनांक–23 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन 2.उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014, जिसके आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उप नियम(3)के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(3) **10 प्रतिशत** पदों पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय, तथा सहायक अध्यापक सम्बद्व राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो नियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों, में से विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा चयन करके: परन्तु यह कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में कमांक 2 और/अथवा कमांक 3 पर सन्दर्भित उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो उस वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष पदों पर अगले चयन वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जायेगी ।	(3) 10 **प्रतिशत** पदों पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय तथा सहायक अध्यापक सम्बद्व राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो नियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों, में से विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा चयन करके।

नियम 6 का संशोधन 3.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के

आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

नियम–8 का संशोधन 4. मूल नियमावली के विद्यमान नियम 8 में

(i) **नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम(1) के खण्ड (पांच)(छ:)एवं(दस) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–**

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(पांच) (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राईंग एवं पेन्टिग में स्नातकोत्तर उपाधि। अथवा (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से ड्राइंग या पेन्टिग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय से बी0एड0 उपाधि। **अथवा** (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेन्टिग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि के साथ न्यूनतम द्विवर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा। पूर्णकालिक डिप्लोमा प्रदान करने वाली निम्न संस्थायें मान्यता प्राप्त हैं– 1. **दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यकम हेतु–** (क) स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड काफ्ट,लखनऊ। (ख) डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग पंजाब, चण्डीगढ़। (ग) जामिया मिलिया इस्लामियां, नई दिल्ली। (घ) डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग हरियाणा, चण्डीगढ़। (ड.) बी0एड0,डिग्री डिप्लोमा इन फाईन आर्टस फ्रॉम रीजनल कालेज ऑफ एजुकेशन।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेन्टिग/फाईन आर्ट (पेंन्टिग)/visual Art (पेन्टिग) विषय में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से बी0एड0 उपाधि। **अथवा** **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।**

2. तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु–

(क) वीमेन्स पॉलिटेकनिक, महारानीबाग नई दिल्ली।

(ख) शारदा उकिल स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली।

(ग) दिल्ली पॉलिटेक्निक दिल्ली।

(घ) गर्वमेंट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, जे0 एण्ड के0 जम्मू।

(ङ.) ड्राईग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन फाईन आर्ट एण्ड क्राफ्ट एवॉर्डेड बाई रजिस्ट्रार,डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन गर्वमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर।

(च) बी0ए0/बी0ए0 आनर्स इन आर्ट एण्ड आर्ट एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामियां, नई दिल्ली।

3. चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु–

(क) स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड काफ्ट, लखनऊ।

(ख) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड काफ्ट, चण्ढीगढ़।

(ग) सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बाम्बे।

(घ) विश्व भारती (वेस्ट बंगाल) शान्ति निकेतन।

4. पॉच वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु–

(क) नेशनल डिप्लोमा ऑफ ए0ए0 आई0सी0 टी0ई0।

(ख) बेचलर इन फाईन आर्टस डिग्री फ्रॉम आर्गेनाइज्ड. यूनिवर्सिटी।

(ग) गर्वमेंट कालेज ऑफ फाईन आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर, हैदराबाद (स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्निकल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, आन्ध्र प्रदेश)।

(घ) गर्वमेंट स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट लखनऊ (डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश/कल्चरल अफेयर्स एण्ड सांईटिफिक रिसर्च यू0पी0)।

(ङ.) सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बाम्बे।

(च) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड काफ्ट, कैलकट्टा (डाईरेक्टोरेट आफ पब्लिक इंस्टीटयूशन वेस्ट बैगॉल)।

(छ) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड काफ्ट, चेन्नई (डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज चेन्नई)

(ज) स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड काफ्ट पटना।

	(झ) विश्व भारती (वेस्ट बेंगॉल) शान्ति निकेतन। **(ञ)** स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड काफ्ट (पंजाब चण्ढीगढ.)। **(ट)**रजिस्ट्रार,डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन बीकानेर, गर्वमेन्ट ऑफ राजस्थान।	
(छ:)	**(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। **(2)** किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से डी0पी0एड0 डिप्लोमा/व्यायाम रत्न या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0पी0एड0 की उपाधि। **अथवा** **(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा बी0पी0ई0 के साथ बी0पी0एड0 चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स।	**(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। **(2)** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) {अथवा इसके समतुल्य}।
(दस)	**(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक की उपाधि अथवा बी0सी0ए0 की उपाधि। **(2)** किसी राजकीय संस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में बी0टैक0/बी0ई0 उपाधि। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम0सी0ए0उपाधि।	**(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में अथवा कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक की उपाधि। **(2)** किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि। **अथवा** (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में बी0टैक0/बी0ई0 की उपाधि । (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

सीधी भर्ती के पदों पर

(ii)नीचे स्तम्भ में दिये गये उप नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8.(4) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत, लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा। यह प्रतिबन्ध विभागीय लिखित परीक्षा पर लागू नहीं होगा।	8.(4) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(iii) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप नियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(5)सीधी भर्ती के पदों पर नियमित/मौलिक नियुक्ति हेतु अल्पकालिक सेवा से नियुक्त अभ्यर्थियों की तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो।	8(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्ड और मानकों के अनुसार मान्य होगा। **नियम 8(1) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता न होने पर यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विशेष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड की उपाधि प्राप्त की गई हो, तो वह अभ्यर्थी भी सम्बन्धित विषय विशेष हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताधारी होगा, बशर्ते कि वह नियम–8 में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करता हो।**

नियम–13 का संशोधन 5.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त	13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए

पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है : परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नही होगा।	अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नही होगा। : परन्तु यह और कि दिव्यांजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हिंत पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हिंत श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा:

नियम 15 का संशोधन 6.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15.(1) सम्बन्धित **मण्डल का अपर निदेशक, (माध्यमिक)** सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली बालिका विद्यालयों (महिला शाखा) तथा सह शिक्षा वाले विद्यालयों (सामान्य शाखा) की विषयवार रिक्तियों, जिन्हें नियम 14 के अनुसार अवधारित किया गया है, **का** विवरण तैयार करेगा। रिक्ति के विवरण के आधार पर अल्पकालिक शिक्षक सेवा द्वारा तैनात शिक्षक सेवा द्वारा तैनात शिक्षक जो नियम–8 में निर्धारित अर्हता रखते हों तथा जो संवर्ग में किसी विद्यालय में सेवा करने के इच्छुक होने की सहमति दें, **का** विवरण चयन समिति के सम्मुख रखा जायेगा। 2(i)चयन समिति द्वारा परिशिष्ट में विहित निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्राप्ताकों के आधार पर प्रवीणता के कम में अभ्यर्थियों की विषयवार नियमावली के नियम–6 के प्राविधानों के अनुसार चयन सूची बनायी जायेगी, समिति ऐसी चयन सूची सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायेगी। (ii) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक (प्राप्तांक) प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी **का** नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। (iii) सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा वरीयता सूची के अनुसार संस्तुत अभ्यर्थियों की मौलिक	15.(1) सम्बन्धित **मण्डल का अपर निदेशक, (माध्यमिक)** सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली बालिका विद्यालयों (महिला शाखा) तथा सह शिक्षा वाले विद्यालयों (सामान्य शाखा) की विषयवार रिक्तियों, जिन्हें नियम 14 के अनुसार अवधारित किया गया है, **का विवरण तैयार कर अधियाचन राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा संस्था को प्रेषित किया जायेगा, तत्पश्चात् परीक्षा संस्था** द्वारा विषयवार रिक्तियों को न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका राज्य में व्यापक परिचालन हो, विज्ञापित किया जायेगा एवं सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में, जैसे विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाय, आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा। ऐसे विज्ञापन में अन्य बातों के साथ पदों से सम्बन्धित वेतन, नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हताएं, अधिकतम आयु एवं अन्य ऐसी सूचनाएं, जो आवश्यक समझी जाएं, **का** उल्लेख करेगा। **टिप्पणी** :– लिखित परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में आयोजित की जायेगी तथा लिखित परीक्षा दोनों मण्डल में एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जायेगी।

नियुक्ति की जा सकेगी।

(3) संदर्भित मण्डल में शिक्षकों के नियमित चयन हेतु निम्नवत् चयन समिति होगी:–

चयन समिति:–

1. संबंधित मण्डल के अपर निदेशक।
2. वरिष्ठतम मुख्य शिक्षा अधिकारी।
3. निदेशक, द्वारा नामित संयुक्त शिक्षा निदेशक से न्यून एक शिक्षा अधिकारी।
4. मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा नामित एवं सेवायोजन अधिकारी।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित विज्ञापन में दिये गये प्रारूप के आधार पर आवेदन–पत्र विज्ञापन में उल्लिखित दिनांक को या उसके पूर्व विज्ञापन में उल्लिखित पते पर पंजीकृत डाक **अथवा चयन संस्था द्वारा जैसा निर्धारित किया जाय,** अवश्य पहुँच जाय।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जायेंगे–

(एक) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क, जो विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(दो) अन्य अभिलेख, जो विज्ञापन में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) निर्धारित शुल्क एवं अभिलेख के बिना भेजे गये आवेदन–पत्र, निर्धारित तिथि तक नही पहुँचने पर ऐसे आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) **महिला शाखा के अन्तर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरीं जायेंगी, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरूष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरीं जायेंगी।**

(6)(i) **राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा संस्था** के द्वारा आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं परिशिष्ट में विहित परीक्षा आयोजित कर, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीणता के कम में अभ्यर्थियों की विषयवार नियमावली के नियम–6 के प्राविधानों के अनुसार चयन सूची बनायी जायेगी। **चयन सूची में नामों की संख्या रिक्यिों की संख्या के बराबर होगी तथा प्रतीक्षा सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत से अनधिक होगी। परीक्षा संस्था चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी/ सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0 को अग्रसारित करेगा। विशेष आवश्यकता के दृष्टिगत समस्त विषयों में**

नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा परीक्षा संस्था से प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की संस्तुति की मांग की जा सकती है। प्रतीक्षा सूची की वैधता परीक्षा संस्था द्वारा अन्तिम विषय की चयन सूची निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक होगी।

परन्तु यह कि परीक्षा संस्था द्वारा सम्बन्धित विषय में मैरिट के आधार पर प्रत्येक विषय की एक सूची तैयार की जायेंगी, अभ्यर्थियों को शाखा/मण्डल आवंटन हेतु परीक्षा संस्था द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में मैरिट के अवरोही क्रम में अभ्यर्थियों को शाखा/मण्डल चयन का अवसर प्रदान करते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा दिए गये विकल्प के अनुसार विकल्पित शाखा एवं मण्डल आवंटित किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के दौरान दिया गया विकल्प अन्तिम होगा जिसमें परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक (लिखित परीक्षा के अंक) प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(iii) सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यताओं के मूल प्रमाण–पत्रों की जॉच एवं सत्यापन करने के उपरान्त सभी प्रकार से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

नियम 16 का संशोधन **7.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के उपनियम(3) व (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिये जायेगें अर्थात**

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(3) पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण–पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण–पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात् के तीन वर्षो में प्राप्त नही किया जाता तो अगली वेतनवृद्धि	**(3) शिक्षकों के लिए पदोन्नति हेतु नियम,8 में निर्धारित शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगें।**

तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण–पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे :

(4) व्यायाम शिक्षकों के लिए नियम,8 के उपनियम(1) के खण्ड (छ:) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे; परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण–पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।	**(4) व्यायाम शिक्षकों के लिए नियम,8 के उपनियम–1 के (छ:) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे।**

नियम 17 का संशोधन 8.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष में इस हेतु निर्धारित विषयवार पदों की संख्या अवधारित करेगा तथा इसका विवरण तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं अथवा निर्धारित परीक्षा संस्था के माध्यम से विभागीय सीधी भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करेगा। सम्बन्धित परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के योग से प्रकटित प्रवीणता के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लिखित मण्डलीय संवर्ग के महिला संवर्ग (महिला अभ्यर्थियों के मामले में) अथवा मण्डलीय सामान्य संवर्ग (महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में) के लिए आवंटित करेगा, किन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा वरीयता सूची में स्थान पाने के बाद भी यदि उसके द्वारा प्रथम विकल्पित मण्डल/शाखा (सामान्य अथवा महिला) के सम्बन्धित विषय में पद रिक्त न हो तो परीक्षा संस्था द्वारा उसके द्वितीय विकल्पित मण्डल/ शाखा में सम्बन्धित विषय की रिक्ति के प्रति उसे आवंटित कर दिया जायेगा।	(2) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष में इस हेतु निर्धारित विषयवार पदों की संख्या अवधारित करेगा तथा इसका विवरण तैयार करेगा। **राज्य सरकार द्वारा नामित** परीक्षा संस्था के माध्यम से विभागीय सीधी भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित की जायेगी। सम्बन्धित परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के योग से प्रकटित प्रवीणता के क्रम के अनुसार शाखा/मण्डल आवंटित किया जायेगा, **परन्तु यह कि परीक्षा संस्था द्वारा सम्बन्धित विषय में मैरिट के आधार पर प्रत्येक विषय की एक सूची तैयार की जायेंगी, अभ्यर्थियों को शाखा/मण्डल आवंटन हेतु परीक्षा संस्था द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में मैरिट के अवरोही क्रम में अभ्यर्थियों को शाखा/मण्डल चयन का अवसर प्रदान करते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा दिए गये विकल्प के अनुसार विकल्पित शाखा एवं मण्डल आवंटित किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के दौरान दिया गया विकल्प अन्तिम होगा जिसमें परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।** टिप्पणी :– सीधी भर्ती (60 प्रतिशत) एवं विभागीय लिखित (10 प्रतिशत) सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मण्डल में एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जायेगी।

परिशिष्ट का संशोधन 9.मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान परिशिष्ट	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

पद का नाम	वेतनमान	पद का नाम	वेतनमान
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	44900–142400 लेवल–7 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंक :–	**सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंक :–**
(क) **परीक्षा** :– परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगे :–	(क) **परीक्षा** :– परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगे :–
1. **भाग** – एक–शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। – **100 अंक**	1. **भाग** – एक–शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। – **100 अंक**
2. **भाग** – दो– जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। – **100 अंक**	2. **भाग** – दो– जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। – **100 अंक**

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of '**the Constitution of India**', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. / Dehradun, dated: 2019 for general information.

Government of Uttarakhand

Secondary Education Section-1

No.933 /XXIV- / B-1 /19-32(02)/2011

Dehradun, Dated:23December, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Category) Service Rules, 2014, namely:-

Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Category) (Amendment) Service Rules, 2019

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the "Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Category) (Amendment) Service Rules, 2019.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 5

2. In the 'Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Category) Service Rules, 2014(hereinafter referred to as principal rules, for the existing sub rule (3) of rule 5set out in Column-1, below the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule hereby substituted**
5(3) 10 percent posts, by selection through departmental written exam amongst from Assistant Teacher primary school, Principal Primary School, Assistant Teacher Upper Primary School and Assistant Teacher Government Model School and Assistant Teacher affiliated Government primary School working under Government Primary Education, who fulfills qualification determined under rule 8: Provided that if the appropriate person referred to serial no. 2 and / or serial no. 3 not available in any recruitment year, appointment	**5(3)** 10 percent posts, by selection through departmental written exam amongst from Assistant Teacher primary School, Principal Primary School, Assistant Teacher Upper Primary School and Assistant Teacher Government Model School and Assistant Teacher affiliated Government primary School working under Government Primary Education, who fulfills qualification determined under rule 8.

against the vacancy of that year shall be made in next selection year by direct recruitment.

Amendment of rule 6

3. In the principal rules for the existing rule 6 set out in column 1below the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
6.Reservation for the candidate belonging to Scheduled Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the government in force at the time of the recruitment.	**6.**Reservation for the candidate belonging to Scheduled Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Economically weaker sections and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the government in force at the time of the recruitment.

Amendment of rule 8

4. In existing rules 8 of the principal rules -

(i) in clause (v), (vi) and (x) of sub rule(1) set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
(v) (1) A post graduate degree in Drawing and Painting from a University established by law in India. Or (1) Graduate degree in Drawing or Painting/ Fine Art/ Art subject from any University established by law in India. (2) L.T. diploma from any Government or Government recognised training Institution/ college or degree of (B.Ed) from a University established by law. Or (1) Minimum two years full time diploma with graduate degree in Drawing or Painting/ Fine Art/ Art from any University established by law in India. The following Institutions are recognised to provide full time diploma:-	**(v)** (1) Graduate degree in Drawing and Painting/ Fine Art (painting)/ Visual Art (painting) from any University established by the law in India. (2) Degree of B.Ed from any Government or Government recognized training institution/ college. Or Degree of BA.Ed of minimum four years in the subject of Arts from any institution recognized from National Council for Teachers Education.

1. For two years diploma course:

(a) School/ college of Art and Craft, Lucknow.

(b) Directorate of Industrial Training Punjab, Chandigarh.

(c) Jamiya Millia Islamia, New Delhi.

(d) Directorate of Industrial Training Haryana, Chandigarh.

(e) B.Ed degree Diploma in Fine Arts From Regional College of Education.

2. **For three years diploma course:**

(a) Women's Polytechnic, Maharanibagh, New Delhi.

(b) ShardaUkil School of Art, Delhi.

(c) Delhi Polytechnic, Delhi.

(d) Government Industrial Training Institution, J&K Jammu.

(e) Drawing Teachers Training Certificate in Fine Arts and Craft Awarded by Registrar, Departmental examination Government of Rajasthan, Bikaner.

(f) B.A./ B.A. honors in Art and Art Education, Jamia Millia Islamia, New Delhi.

3. For four years diploma course:

(a) School/ college of Art and Craft, Lucknow.

(b) College of Art and Craft, Chandigarh.

(c) Sir, J J School of Art Bombay.

(d) Vishwa Bharti (West Bengal) Shanti Niketan.

4. For five years diploma course:

(a) National Diploma of A.A.I.C.T.E.

(b) Bachelor in Fine Arts Degree from

Organized, University.

(c) Government College of Fine Art and Architecture, Hyderabad. (State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh.

(d) Government School/ College of Art and Craft Lucknow (Directorate of Industries, Uttar Pradesh / Cultural Affairs and Scientific Research U.P.)

(e) Sir J.J. School of Art Bombay.

(f) College of Art and Craft, Kolkatta (Directorate of Public Institution West Bengal).

(g) College of Art and Craft, Chennai (Directorate of Industries Chennai).

(h) School/ College of Art and Craft, Patna.

(i) Vishwa Bharti (West Bengal) Shanti Niketan.

(j) School/ College of Art and Craft (Punjab Chandigarh).

(k) Registrar, Departmental Examination Bikaner, Government of Rajasthan.

(vi) (1) Graduate degree from any University established by law in India.

(2) D.P.Ed diploma/ Vyayam Ratan from any Government or government recognized training institute / college or degree of B.P.Ed from a University established by law.

Or

(1) Four year integrated course of B.P.Ed with Physical education B.P.E. from any University established by law in India.

(vi)(1) Graduate degree from any University established by law in India.

(2) Graduate of at least one year in Physical Education (B.P.Ed) [or its equivalent] from any institution recognized from National Council for Teachers Education.

(x) (1) Graduate degree with a subject of Computer Science or degree of B.C.A. from any University established by law in India. (2) L.T. diploma from any government institution or training institution recognized by the government or degree of B.Ed from any University established by law. Or B.Tech/ B.E degree in Computer Science from any University established by law in India. Or Post Graduate degree in Computer Science or M.C.A degree from any University established by law in India.	(x)(1) Graduate degree in Computer Science or with Computer Science subject from any University established by law in India. (2) L.T. diploma from any government or government recognized training institution/ college or degree of B.Ed from any University established by law. Or (1) B.Tech/ B.E degree in Computer Science from any University established by law in India. (2) L.T. diploma from any government or government recognized training institution/ college or degree of B.Ed from any University established by law.

On the post of direct recruitment:

(ii) For sub rule(4) set out in column 1below sub rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule hereby substituted**
8(4) For the recruitment of Group "C" within the purview of the Uttarakhand Public Service Commission, outside the purview of Public Service Commission, only such candidates shall be eligible whose name are registered in any employment office situated in the State of Uttarakhand. This restriction shall not be applicable on departmental written examinations.	**8(4)** The Essential / Desirable Qualification for the recruitment of Group 'C' posts within the purview of the Uttarakhand Public Service Commission and Outside the purview of the Public Service Commission Rules, 2010, as amended from time to time, shall be applicable as per its provisions.

(iii) For sub rule(5) set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
(5) For regular / substantive appointment on the posts of direct recruitment, the candidates appointed from short term services should have completed three years satisfactory services.	**(5)** Training programme shall valid as per norms and criteria determined from time to time by the National Council for Teacher Education. If, not having educational qualification mentioned in Rule 8(1), any candidate have obtained degree of B. A. Ed / B.S.C. Ed of four years from any recognised University of National Council for Teacher Education in particular subject, such candidate shall also be eligible of prescribed education for related particular subject: Provided that he fulfills other conditions prescribed in rule 8.

Amendment of rule 13

5. In the principal rules, for the existing rule 13 set out in column 1, below the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
13. No candidate shall be appointed to any post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defects which may likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. It is required from the candidate before the final approval of his/her appointment that he shall produce a medical certificate of fitness in accordance to the rules framed under Fundamental Rule10 contained in III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III: Provided that it is not required to produce the medical certificate of fitness for the candidates appointed by the promotion.	**13.**No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Part III: Provided that It is not required to produce the medical certificate of fitness for the candidates appointed by promotion. Provided further that in order of the section 33, the posts identified for the purpose and the categories identified under section 34 of the Rights of Person with Disability Act, 2016, the disabled shall not be denied for appointment as per rules.

Amendment of rule 15

6. In the principal rules for the existing rule 15 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing rule**	Column-2 **Rule hereby substituted**
15. (1) The Additional Director (secondary) of concerned divisions shall prepare a details of subject wise vacancies of in girls college (women branch) and co-educations colleges (general branch) to be filled by direct recruitment which are determined as per rule 14. On the basis of the details of the vacancies, details of the teachers deployed by short term teachers service, who are eligible under rule 8 and give their consent of wiling to serve in any college of cadre, shall be placed before selection committee. (2) (i) The Selection list shall be prepared by the Selection Committee according to rule 6 of subject wise rules of candidate in order of proficiency on the basis of prescribed norms in Appendix, Committee shall make available such selection list to the concerned Divisional Additional Director, Secondary Education. (ii) If two or more candidates obtain equal marks, then name of the elder age candidate shall be placed higher in list. (iii) Candidates recommended according to merit list may be appointed substantially by Additional Director, Secondary Education of concerned division. (3) There shall be following Selection Committee for the regular selection of teacher in concerned division- Selection Committee: 1- Additional Director of concerned division, 2- Senior Chief Education Officer, 3- An Education Officer who is belowthe rank of Joint Education Director nominated	**15.** (1) The Additional Director (secondary) of concerned division shall after preparing the details of subject wise vacancies of Girls College (women branch) and co-education schools (general branch) to be filled by direct recruitment which are determined by rule 14, forward requisitions to examining institutions nominated by State Government. After that an advertisement of subject wise vacancies shall be published in minimum two daily newspapers which have large circulation in state and in prescribed format as specified in the advertisement, applications for direct recruitment shall be invited by examining institution. In such advertisement, salaries related to posts, academic qualifications for appointment, maximum age and all other information which are deemed be necessary, shall be mentioned. Note: Written exam shall be conducted in Hindi and English both language and written examination shall be conducted in both divisions on same date and time. (2) It shall be necessary that an application form should be reached till or before the date specified in the advertisement at the specified address by registered post or as prescribed by Selection Committee in the format specified in the advertisement mentioned in subrule(1). (3) Following shall be annexed with the application specified in sub rule (2)— (i) fees as fixed by the State Government which is specified in advertisement. (ii) other documents, which are specified in advertisement. (4) Application forwarded without fixed fee

by Director,

4- An Employment Officer nominated by divisional commissioner.

and documents, application not delivered on the fix date shall not be considered.

(5) Post of Assistant Teacher under women branch shall be filled from female candidate, post of general branch shall be filled by both male and female candidates.

(6) (i) Application shall be scrutinized by the examination institution nominated by the state Government and after conducting the examination prescribed in appendix, the selection list shall be made in order of their proficiency on the basis of marks obtained in written examinations as per the provisions of rule 6 of subjectwise rules of candidates, the number of name in the selection list shall be equal to the vacancies and number of name in waiting list shall be not more than 25 percent of the number of vacancies. Examination institution shall forward the selection list to the Appointing Authority/ concerned division Additional Director, secondary education. In view of special requirement, after the completion of appointment procedure in all subjects, Appointing Authority may demand from the examination institution, recommendation of candidates from the waiting list in place of candidates not taken charge on appointment. The waiting list shall be valid for one year from the date of issuing the selection list of final subject by the examination institution:

Provided that a list of every subject on the basis of merit in related subject shall be prepared by the examination institution. The candidates shall be allotted opted branch and division according to the option given by the concerned candidate by providing the opportunity of selecting branch/ division to the candidates in decreasing order of their proficiency in the counseling conducted by the examining institution for allocation of branch/ division to the candidates. Option given by the

candidate during counseling shall be final, in which no changes shall be permissible.

(ii) If two or more candidates obtain equal marks (marks of written examination), name of candidate having elder in age shall be placed higher in the list.

(iii) After inquiry and verification of original certificate of academic qualifications of candidates, included in the merit list, by the Additional Director, secondary education of concered division, eligible candidates shall be appointed.

Amendment of rule 16

7. In the principal rules for the existing sub rule (3) and (4) of rule 16 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
(3)In case of candidate selected by promotion being not trained graduate, degree or diploma in education from institution/ schools recognised from N.C.T.E or certificate determined through the institution constituted by the State Government shall have to be obtained. If the said certificate, degree or diploma is not obtained within three years after the appointment year, next increment shall be payable only when they obtain such certificate, degree or diploma.	.(3) For the promotion of teachers, provision of academic/ training qualification in rule 8 shall be applicable.
(4) Provisions of training qualification according to the clause (vi) of sub rule (1) of rule 8 shall be applicable for PTI (physical instructor) : Provided that such certificate, degree or diploma is not required for the candidates of age of 55 years	(4) Provisions of training qualification according to the clause (vi) of sub rule (1) of rule 8 shall be applicable for physical instructor (PTI).

or more at the date of promotion.

Amendment of rule 17

8. In the principal rules, for the existing sub rule (2) of rule 17 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule hereby substituted**
(2) The Appointing Authority shall determine number of subject wise post determined for this purpose and shall prepare its detail. Appointing Authority shall conduct the examination for departmental direct recruitment by his own or through prescribed examination. Related examination institution shall allocate in order of proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by candidates at the written examinations for women cadre (in case of female candidate) or divisional general cadre (in case of female and male candidates) of divisional cadre mentioned in application by the candidate, but if after getting place in merit list by any candidate, the post of concerned subject of first opted division/ branch (general or women) is not vacant, he shall be allocated his second opted division/ branch by the examination institution regarding the vacancy of concerned post.	**(2)** The Appointing Authority shall determine number of subject wise post determined for this purpose and shall prepare its detail. Examination for departmental direct recruitment shall be conducted through examination institution nominated by the State Government.Branch/ division shall be allocated in order of proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by candidates at the written examinations by the related examination institution: Provided that a list of every subject on the basis of merit in related subject shall be prepared by the examination institution. The candidates shall be allotted opted branch and division according to the option given by the related candidate by providing the opportunity of selecting branch/ division to the candidates in decreasing order of their proficiency in the counseling conducted by the examining institution for allocation of branch/ division to the candidates. Option given by the candidate during counseling shall be final in which no changes shall be permissible. **Note**: Direct recruitment (60%) and departmental written (10%) direct recruitment examination, both shall be conducted on same time and date in both divisions.

9.

In the principal rules, for the existing appendix set out in column 1 below, the appendix as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Appendix- (A)

Existing rule

Name of posts	Pay scale
Assistant Teacher/ Assistant Teacher (woman)	9300-34800 grade pay 4600 (Trained graduate category)

Rule hereby substituted

Name of posts	Pay scale
Assistant Teacher/ Assistant Teacher (woman)	44900-142400 level-7 (Trained graduate category)

Marks for selection by direct recruitment:

(a) Examination: Examination shall be based on objective type of questions. There shall be following two parts of examination paper : -

1- Part (i) :- Academic aptitudes, reasoning test and general knowledge- 100 marks.

2- part (ii):- For efficiency test of such subject, for the post of Assistant Teacher of which subject is to be applied- 100 marks.

Marks for selection by direct recruitment:

(a) Examination: Examination shall be based on objective type of questions. There shall be following two parts of examination paper : -

1- Part (i) :- Academic aptitudes, reasoning test and general knowledge- 100 marks.

2- part (ii):- For efficiency test of such subject, for the post of Assistant Teacher of which subject is to be applied- 100 marks.

By Order,

(R. Meenakshi Sundram)
Secretary.